

28.10.2025:-पत्रावली आज वादी-जरिय अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह राठौड द्वारा के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी मे लिया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी अपने वादपत्र मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहते वादी व प्रतिवादी को आपस मे राजीनाम हो चुका है। वादी का वादपत्र आज ही पेशी मे लिया जाकर withdrawal फरमाया जावे। वाद अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी का उक्त प्रार्थना पत्र नयायाहित मे स्वीकार किया जाकर वादी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर/अगुठा करवाया गया। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा की गई। वादी का वादपत्र वर्तमान स्तर पर विद्वा किया पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़